ADB

Environmental Monitoring Report

Project Number: 42486-016
Annual Report: August 2021 – January 2022
November 2022

India: Madhya Pradesh Urban Services Improvement Project

Part 5 of 5: Appendix 8

Prepared by Prepared by the Project Management Unit, Madhya Pradesh Urban Development Company, Government of Madhya Pradesh for the Asian Development Bank

This environmental monitoring report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Asian Development Bank

Appendix 8: MPUDC Office Order to Set up GRM

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग)

क्र./पीएमयू/2017/1108 भोपाल दिनांक 23/6/17

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
समस्त

विषय :-शिकायत निवारण समिति के गठन के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल के आदेश क्रमांक/या.प्रा/7/2017/3934 दिनांक 06.03.2017

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार समस्त बाह्य वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं संधारण अवधि के दौरान शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना है।

आदेश के परिपालन में जिन परियोंजनाओं में ठेकेदार नियुक्त किये जा चुके हैं, उन सभी उप परियोजनाओं में शिकायत निवारण समिति का गठन आदेश अनुसार तत्काल कर अवगत करायें। इसके साथ ही भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में भी आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-उपरोक्त अनुसार।

(आर.के. व्यास)
प्रमुख अभियंता
म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कपंनी
भोपाल

पृ.क्र./पी.एम.यू/2017/1109 भोपाल, दिनांक 23/6/17

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, बीज भवन भोपाल।
2. अतिरिक्त प्रबंध संचालक, म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, बीज भवन भोपाल।
3. संचालक (तकनीकी), म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, बीज भवन भोपाल।
4. उप परियोजना संचालक (तकनीकी) म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, बीज भवन भोपाल।
   की ओर सूचनार्थ।
5. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, परियोजना अधिकारी, म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, बीज भवन भोपाल।
6. श्री कमलेश भटनागर, तकनीकी अधिकारी, म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, बीज भवन भोपाल।
7. टीम लीडर, पीएमसी, एमपीयूडीपी
8. टीम लीडर, पीएमसी, एमपीयूएसआईपी

की ओर उपरोक्त संदर्भित आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु।

प्रमुख अभियंता
म0प्र0 अर्बन डेवलपमेंट कपंनी
भोपाल

"बीज भवन", सेकण्ड फ्लोर, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
91-755-2763060,61,62 फैक्स : +91-755-2763868 ई-मेल, **mpusipbpl@gmail.com**

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-4222672 Fax 0755-4222672
Email:- kbhatnagar@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यां.प्र./7/2017/ 3934 भोपाल, दिनांक 6-3-2017

आदेश

अ. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अंतर्गत समस्त बाहय वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन संधारण अवधि के दौरान जन सामान्य की शिकायत निवारण हेतु निम्नानुसार "शिकायत निवारण समिति" का गठन किया जाता है:-

1. मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की संबंधित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के परियोजना प्रबंधक समिति के अध्यक्ष एवं शिकायत निवारण के लिये नोडल अधिकारी होंगे
2. संबंधित नगरीय निकाय की मेयर इन काउन्सिल/प्रेजीडेन्ट इन काउन्सिल द्वारा नामांकित एक निर्वाचित सदस्य
3. संबंधित नगरीय निकाय की मेयर इन काउन्सिल/प्रेज़ीडेन्ट इन काउन्सिल द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता
4. संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त /मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरीय निकाय का सामुदायिक आयोजक
5. मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की संबंधित परियोजना क्रियान्वयन इकाई से सामुदायिक विकास अधिकारी

समिति में एक महिला सदस्य होना आवश्यक है।

ब. जन सामान्य की शिकायत निवारण प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

1. प्रभावित व्यक्ति संबंधित निकाय, योजना क्रियान्वयन ईकाई या ठेकेदार को व्यक्तिग रूप से या दूरभाष पर उसकी पहचान और पते का खुलासा कर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। शिकायत का पंजीयन आवश्यक होगा।
2. निर्माण गतिविधियों के दौरान आजिविका या संपत्ति/उपयोगिता या उपयोग के प्रतिबंध के नुकसान और रख रखाव की अवधि के दौरान सेवा की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का निवारण शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जायेगा। केवल भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निपटान शिकायत निवारण समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं होगा।
3. शिकायत संबंधित पीआईयू के परियोजना प्रबंधक को संबोधित की जायगी। साइट इंजीनियर और जन सम्पर्क अधिकारी का कत्वर्य होगा कि वो परियोजना प्रबंधक के आदेशानुसार तत्काल उचित कार्यवाही सुनिश्चित करे।